27

विभिन्न हित
(VARIOUS INTERESTS)

राजनीति को विभिन्न हितों के बीच अन्योन्य क्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। सुव्यवस्थित हित को अच्छे शासन का एक प्रमुख भाग माना है। राजनैतिक प्रणाली के आपसी व्यवहार के तरीके को, बिना हित समूहों की भूमिका को बिना सोचे, नहीं समझा जा सकता। व्यापक रूप से यह माना गया है कि विभिन्न हित आवश्यक हिस्से का रूप ले लेते हैं। हित समूहों का अध्ययन न केवल राजनीति की शक्ति को समझने के लिए है परन्तु नीतियां बनाने की क्रिया विधि को जानने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुव्यवस्थित हित विचार-विमर्श देने वाले प्रजातंत्र के अभिन्न अंग हैं। राजनैतिक तालमेल का ढंग बहुत ज्यादा बदल गया है। इसका कारण सुव्यवस्थित समूहों और हितों की बढ़ती हुई प्रमुखता है। सुव्यवस्थित हित समूहों की क्रियाशीलता आर्थिक और सामाजिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान, किसानों, मजदूर संगठनों, रेलतंत्र, उच्च-स्तरीय कर्मचारी आदि के समूहों का राजनैतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध मशहूर आंदोलन समकालिक रूप से प्रकट हुआ। व्यापार, मजदूर, खेत और सुधार के लिए दबाव समूह सभी आधुनिक राष्ट्रों में पाए जाते हैं जहाँ सामाजिक समूह उन पर नियन्त्रण करने के लिए और राजनीतिक मामलों पर दबाव डालने के लिए जुड़ने के लिए आजाद होते हैं।

एक हित समूह को व्यक्तियों के एक संगठन जिनका हित एक हो जो सामूहिक हितों के लिए काम करते हैं के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार हित समूह एक दबाव समूह बन जाता है जब यह अनुकूल सरकारी नीति या निर्णय पाता है और इस उद्देश्य से सरकार पर दबाव डालता है। साधारणतया: दबाव समूह कोई भी व्यवस्थित समूह होता है जो अपने सदस्यों के हितों को आगे बढ़ाना चाहता है और इसके लिए सरकार पर दबाव बनाता है। वे राजनैतिक कार्यों में शामिल होते हैं परन्तु सरकार के रूप में काम नहीं करना चाहते।

वह समूह, अर्थात् समूह जो सीधे तौर पर कानून बनाने वालों को प्रभावित करता है, वे दबाव समूह का रूप ले लेते हैं। एक विस्तृत सामाजिक संगठन जो सीधे तौर पर समूह को अपने कुल परिचालन का एक हिस्सा मात्र बनाता है। वोट खरीदने के लिए कम धन खर्च किया जाता है और प्रतिनिधियों को समझा-बुझा कर मनाने में अधिक।

आधुनिक समाज में हित समूह सरकार और शासित के बीच में बड़े सम्पर्क सूत्र का कार्य करता है। हित समूह सरकार को प्रभावित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। वे जनसंपर्क माध्यम का उपयोग व आम जनता की राय लेते हैं। वे दांवपेंच याचिका, धरना, हड़ताल, जुलूस, विरोध-प्रदर्शन और सार्वजनिक विरोध-प्रदर्शन, नागरिक अनुशासनहीनता और यहां तक हिंसा और जनान्दोलन का प्रयोग करते हैं।

कई बार नीति बनाने वाले हित समूहों की मांग के बारे में सुनना नहीं चाहते और न ही उनकी मांगों को माना जाता है।" केवल जब सार्वजनिक व्यवस्था जनान्दोलन के कारण खतरे में पड़ती है, सरकार रियायत करने के लिए तैयार हो जाती है, वह उस समूह की जो मांगें रखता है ताकत और हानि पहुँचाने की क्षमता को पहचानता है।"

आधुनिक समाज में, असंख्य स्वैच्छिक संस्थाओं में हित समूह हो सकते हैं जैसे किसान, व्यापार-संस्थाएं, स्त्रियां, मजदूर, व्यावसायिक संगठन, मजदूर संगठन आदि जो राजनीतिक दांव में कुछ रुचि रखते हैं।

ये एक प्रजातंत्र के लिए अवश्यम्भावी हैं और उसके लिए वे राष्ट्रीय और विशेष हितों के बीच संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। वे एक दूसरे से हितों के अभिव्यक्तिकरण को अपने पक्ष में करने के लिए स्पर्द्धा करते हैं। निरंकुश सामाजिक ताकत के प्रकटन के विरोध में यह एक आंतरिक सुरक्षा बनाता है। **बी.एल. फाडिया** टिप्पणी करते हैं," व्यापारी मजदूर, किसान सामाजिक दल, महिलाएं और धार्मिक गुट-सभी अपने फायदे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परन्तु सभी एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए मजबूर हैं। अवश्यम्भावी परिणाम यह है कि वे एक दूसरे की माँगों को संतुलित करते हैं और यह विपरीत झुकाव समाज की डर से रक्षा करता है कि कोई व्यक्तिगत दल पूरी ताकत का प्रयोग करने आएगा।"

"इनमें अधिकांश जन-आंदोलन उत्साहपूर्वक ढंग से शक्ति संबंधों की मौलिक संरचना के कारण बने। आजादी के बाद ये दल सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संगठित हुए और दृढ़ता से किसी हद तक बिखरे हुए प्रभुत्व की प्रणालियों से लड़ें : किसान आंदोलन, ज़मीनी अधिकार का आंदोलन, स्त्री आन्दोलन, जाति विरोध आंदोलन, पर्यावरण संबंधी आंदोलन, बड़ी योजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन के विरुद्ध आंदोलन और नक्सली आंदोलन।"

व्यापारिक दल, मजदूर संगठन और उपभोक्ता दल से अधिक अपेक्षित होते हैं क्योंकि वे निपुण समूह बनाने वाले या महंगे जन साधारण संबंधी प्रचार कर सकते हैं क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए वित्तीय व्यवस्था है। व्यापारिक दल लाभ का भी आनंद उठाते हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में, निर्माता, निवेशक या मालिक के रूप में, मुख्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, वित्तीय रूप से सबसे सुव्यवस्थित समूह यूरोपीय संघ स्तर पर प्रचलन करता है और ये व्यापारिक हित हैं।

वे शक्ति को कैसे प्रयोग में लाते हैं ?

दबाव गुट हर स्तर पर सरकार को प्रभावित करना चाहते हैं। शक्ति को प्रयोग में लाने के लिए जो उपाय लाते हैं उनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं :

(i) याचिका भेजना

(ii) साक्षात्कार करना

(iii) साहित्य बांटना

(iv) प्रचार करना

वे परोक्ष रूप से सरकार के विचार को भी मीडिया के द्वारा या सीधे तौर पर इस प्रकार प्रभावित करते हैं :

(i) दबाव गुट के द्वारा प्रयुक्त एक मुख्य तरीका समान विचार वाले व्यक्तियों का समूह बनाना है जिसके द्वारा वे सरकार को प्रभावित कर सकें ताकि जन-साधारण नीति बनाने की क्रिया उनके पक्ष में हो।

(ii) मैत्री पूर्ण सांसदों को या विधान मंडल या समिति कक्ष के कानून बनाने वाले सभा कक्ष को प्रभावित करना।

(iii) मैत्री पूर्ण प्रत्याशी को चुनना।

(iv) एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण का निर्माण करके संचार व्यवस्थाओं के प्रयोग समाचार विशेष भाषण, पैम्फलेट, किताबों द्वारा करके जनता से अनुरोध करना।

(v) राजनैतिक दलों के साथ चाहे भ्रष्टाचार और रिश्वत के द्वारा जुड़ना।

(vi) एक अनुसंधान कक्ष बनाना और प्रभावशाली उपाय खोजना। ये बिल्कुल सही तथ्य और सूचनाएं नीति बनाने वाले को नीति बनाने में मदद देते हैं। उनकी राय महत्व रखती है क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और अपने प्रशासन संबंधी प्रक्रियाओं का अधिक ज्ञान है जिससे निर्विघ्न रूप से अपना कार्य कर सकें। अतः, कई बार प्रस्तावों के मसौदे जिन्हें विधान मंडल के समक्ष किया जाता है, हित समूहों के द्वारा बनाया जाता है।

(vii) सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन और हिंसा का भी दबाव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे विशेष रूप से विभिन्न दबाव गुट अपनी मांगों को रख सकें।

दबाव समूहों के प्रकार
(Types of Pressure Groups)

हित समूह/दबाव गुट को निम्नलिखित चार प्रकार में वर्गीकृत कर सकते हैं –

(i) संस्थात्मक दबाव गुट (Institutional Pressure Groups)

संस्थात्मक दबाव गुट वे समूह होते हैं जो सरकार के गतिमान समूह के अंग हैं और इसके द्वारा प्रभाव डालते हैं। ऐमण्ड (Aimond) और पॉवेल (Powell) कहते हैं, "संस्थात्मक समूह ऐसे संगठनों में पाए जाते हैं जैसे राजनैतिक दल, विधान मंडल, सेनाएं, नौकरशाही और गिरजाघर। ये औपचारिक संगठन हैं जो अभिव्यक्तिकरण के अलावा नामित किए गए राजनैतिक और सामाजिक कार्यों के लिए व्यावसायिक रूप से नियुक्त किए गए कार्यकर्त्ताओं से बनता है। लेकिन ये गुट अपनी स्वयं की हितों को स्पष्टतया व्यक्त करते हैं या समाज में अन्य गुटों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये ऐसा संगठित निकाय के रूप में या इन्हीं संगठनों के छोटे समूह के रूप में कर सकते हैं।

संस्थात्मक दबाव गुट के उदाहरण कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, कांग्रेस संसदीय समिति, मुख्य मंत्रियों का क्लब, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, अनिर्वाचित अधिकारियों वाला प्रशासन तंत्र, सेना आदि हैं।

(ii) सहकारी दबाव गुट (Associational Pressure Groups)

ये गुट उन लोगों के द्वारा बनते हैं, जो एक साथ, साझे उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आते हैं। ये अभिव्यक्तिकरण के विशेष ढांचे हैं उदाहरणतया, मजदूर संगठन, व्यापारियों के संगठन, उद्योगपतियों के संगठन, किसान या नागरिक समूह, विशेष, जाति या धर्म से संबंधित लोगों या छात्र संघ आदि।

ये गुट किसी भी राजनैतिक प्रणाली में नीति निर्धारण के अनाधिकृत साधन के रूप में प्रयोगाधीन बन चुके हैं और उनके उद्देश्य समाज की वैध मांगों से संबंधित होती हैं।

भारत में, इन गुटों के दो भिन्न प्रकार हैं। व्यावसायिक समूह जैसे उद्योग धंधे या मजबूत संगठन जो आधुनिक व्यावसायिक और सामुदायिक समूहों की दिलचस्पी बढ़ाने पर आधारित हैं। वे इन समूहों की मांगों को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने में मदद करते हैं और शिकायतें, यदि कोई हो उनकी भरपाई को भी सुरक्षित करते हैं। सामुदायिक समूह के पारंपरिक सामाजिक ढ़ांचे जैसे धर्म, भाषा और जाति सामूहिक भावनाएं जागृत करते हैं जो ऐसी समानता की भावना को उत्पन्न करते हैं जो राजनीति की ताकत को प्रभावित करना चाहते हैं। ये सहयोगी समूह उन राजनैतिक दलों से संबंधित हैं सिवाए व्यापार संगठनों के जो किसी दल के नियंत्रण से आजाद रहता है।

(iii) असहयोगी गुट (Non-associational Groups)

असहयोगी गुट पारंपरिक सामाजिक ढांचे जैसे बंधुता, धर्म, जाति, प्रतिनिधित्व आदि पर आधारित होते हैं। असहयोगी दबाव गुट में सामुदायिक और धार्मिक समूह, जाति दल, भाषा दल, गांधीवादी समूह, स्त्रियों का समूह, व्यवसाय संघ और विचारधारा संबंधी वामदल या युवा तुर्की शामिल होते हैं।

ये गुट, भारत में राजनीति को निर्धारित करने की एक बहुत प्रमुख धुरी होती है और जातीय और सामुदायिक पहचान के आधार पर राजनैतिक दलों के प्रयासों को नियंत्रित किया जाता है और प्रोत्साहन के आधार पर लाया जाता है। ये गुट दावा करते हैं कि उनकी सदस्यता सूची बड़ी है तथा सुव्यवस्थित है। वे उन एजेंटों की भी मदद लेते हैं जो लोगों को राजी करने में जन सम्पर्क में योग्य हैं और जो जोर देकर लोगों को विश्वास दिलाने में लगे रहते कि उनके उद्देश्य आम जनता की भलाई से संबंधित हैं।

(iv) असामान्य गुट (Anomic Groups)

असामान्य गुट में वे दल आते हैं जो अपनी मांग पूरी करने के लिए हिंसा, सार्वजनिक प्रदर्शन, दंगे और कुछ असंवैधानिक आदि साधनों का उपयोग करते हैं। असामान्य गुट के उदाहरण, नक्सलवादी, उल्फा, जम्मू और काश्मीर स्वतंत्रता संगठन, अखिल सिक्ख छात्र संगठन आदि हैं।

असामान्य दबाव गुट विकासशील देशों में एक आम घटना जिसमें अपनी मांगों को पाने में प्रोत्साहित करने के लिए जिनमें बड़ी संख्या में गंभीर प्रविधियों को इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति होती है। **के. के. सिन्हा** कहते हैं, "ये छोटी जनसभाएं, पोस्टर लगाना, ज्ञापन प्रेस विज्ञप्ति, नुक्कड़ सभा प्रस्तुत करते हैं, पैदल लंबी यात्रा, आम जन सभा, हड़ताल, पिकेटिंग, सत्याग्रह, धरना, जुलूस, विरोध दिवस मनाना, आम प्रतिनिधि मंडल, मशाल जुलूस, भूख हड़ताल आत्म दाह, जन संपत्ति का विनाश, ट्रांसपोर्ट को रोकना, रेल की पटरियां उखाड़ना टेलीफोन और टेलीग्राफ के तारों को उखाड़ना सरकारी इमारतों को जलाना, घेराव, धीमे काम करना, शासन के लिए काम करना, बड़ी संख्या में आकस्मिक अवकाश, दंगे, आम और व्यक्तिगत संपत्ति को जलाना आदि शामिल हैं। ये उग्र क्रिया-कलाप और विरोध की राजनीति कभी-कभी बड़ी संख्या में हिंसा, संघर्ष, भय और विद्रोह, प्रजातंत्र के मूल ढांचे को रोकते और डराते हैं।

भारत में हित समूह
(Interest Groups in India)

भारत में, कई हित दबाव समूहों को विस्तृत रूप से व्यापार, मजदूर, किसान, महिला आदि में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुछ आधारभूत हित होते हैं जो इनमें से अधिकांश दलों को जोड़ते हैं। वे विधि निर्माण भी करते हैं जिससे उनको अपनी सदस्यता बढ़ाने में आसानी रहती है।

व्यापार दल, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर. उद्योगपतियों, निर्यातकों, जहाज के मालिकों, रेल रोड छोटे व्यापार आदि के हैं। इनमें कुछ का झुकाव रूढ़िवादिता की ओर है, वे बड़ी व्यापारिक कंपनियों के व्यक्तिगत आय में ऊंचे करों का पक्ष नहीं लेते हैं, वे सरकार द्वारा मजदूर संगठनों का सक्रिय समर्थन का विरोध करते हैं। लेकिन कई प्रकार से वे अलग हैं और संघर्ष भी करते हैं। निर्माताओं का समूह जहाज के मालिकों का विरोध कर सकते हैं और रेल रोड ऊंचे किराए की दर की मांग कर सकते हैं। लोकप्रिय कपड़ों के निर्यात कुछ औद्योगिक दिलचस्पी से, ऊंचे आयात शुल्क का पक्ष लेने के लिए, जुड़ सकते हैं और निर्यातकों और जहाजी लोगों का विरोध कर सकते हैं।

सरकारी ध्यान आकृष्ट करने के लिए कार्य शक्ति मजदूर संगठनों से जुड़ जाती है, वे सरकार द्वारा तनख्वाह और समय के बारे में हस्तक्षेप के पक्ष में हैं। वे ऐसा विधान चाहते हैं जिससे इन्हें अपनी सदस्यता में वृद्धि करने में आसानी होती है और व्यापार प्रबन्धन के विरोध का सामना कर सकते हैं। कुछ बुनियादी उद्योगों और साधनों पर सरकारी स्वामित्व के पक्ष में हैं। फिर भी इसके विभिन्न नेताओं में व्यक्तित्व और नीतियों में विस्तृत भिन्नता है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर, किसान एक बहुलांश समूह है, अपने लक्ष्यों को पाने के लिए उन्हें दबाव राजनीति का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि वे इसे लाभकारी मानते हैं। उनकी क्षेत्रीय हित लॉबी मजबूर हैं और वे अलग-थलग रहते हैं और साधारण अवस्था में उन्हें राजनैतिक क्रिया-कलाप को आयोजित करना सरल नहीं लगता। उनकी आय मध्यम या निचली श्रेणी की है, वे तुरन्त वित्तीय दबाव नहीं ला सकते जिससे वे विरोधी राजनीतिज्ञों से निपट सकें। केवल किसी बड़े संगठन से जुड़कर स्थाई रूप से जुड़ते हुए ही वे अपनी तुरंत हित के लिए प्रभावी प्रवक्ता पा सकते हैं।

व्यापारिक समूह, मजदूर संगठन और उपभोक्ता समूह से, अधिक संभावित हैं कि वे पेशेवर लॉबी करने वालों को नियुक्त कर सकता है या महंगे जनसंपर्क अभियान में कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा समूह लाभ उनके पास वित्तीय क्षमता है। व्यापारिक समूह लाभ का भी आनन्द उठाते हैं क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में निर्माता, निवेशक या मालिक के रूप में मुख्य भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, वित्तीय रूप में सबसे अच्छे संगठित समूह यूरोपीय संगठन स्तर पर सक्रिय रहते हैं, इसी को व्यापारिक दिलचस्पी कहते हैं।

विभिन्न प्रकार के समूह, जो भारतीय राजनैतिक परिवेक्ष में सक्रिय रहते हैं उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं :

I व्यापारिक समूह (Business Groups)

व्यापारिक संस्था राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में व्यापारिक समूह द्वारा निभाई गई राजनैतिक भूमिका, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, अपने विकास और संगठित व्यापारिक संस्था की भूमिका से अटूट रूप से बंधे हुए होते हैं। कलकत्ता वाणिज्य संगठन 1834 में स्थापित हुआ था और अन्य ऐसे ही निकाय बंबई और मद्रास आदि में स्थापित हुए। औपनिवेशिक युग के दौरान पारम्परिक व्यापारिक समुदाय जैसे बिरला, जैन, टाटा, पारसी, मारवाड़ी और मोदी, कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के मालिक थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को धन उपलब्ध कराया।

आजादी के बाद, कुछ परिवार जैसे टाटा, बिरला, डाल्मिया जैन, गोयन्का आदि धन-शक्ति के द्वारा आम जनता की कार्यक्षमता को प्रभावित करने की अपनी क्षमताओं में सफल रहे। वे दान देते हैं, विभिन्न जन कोष को अच्छा खासा धन देते हैं, राजनैतिक दलों को उपहार देते हैं, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों और शिक्षण संस्थाओं में, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरियां देते हैं। चुनाव के दौरान वे राजनैतिक दलों को भारी अनुदान देते है।

विभिन्न हित

कई संगठन हैं जो भारतीय व्यापारिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये व्यापारिक संगठन की स्वैच्छिक और सहयोगी संस्थाएं हैं जिन्हें व्यापारिक, औद्योगिक और नागरिक महत्व को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित करते हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संगठन (FICCI) भारत में वाणिज्य और उद्योग की सहयोगी संगठन (ASSOCHAM) अखिल भारतीय उत्पादक संगठन (ATMO) और अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघ (FAIFDA)।

इन व्यापारिक संगठनों की असंख्य सदस्यता व्यक्ति विशेष या प्रतिष्ठानों से है जो व्यापारिक उद्यम के सभी क्षेत्रों से होते हैं। इन्हीं संगठनों के द्वारा व्यापारिक समुदाय के विभिन्न समूह आम समस्याओं से निपटते हैं और संयुक्त विचार और कार्य द्वारा समस्याओं का हल निकाला जाता है। ये संगठन सरकारी नीतियों और विधि निर्माण से संबंधित उपाय जो व्यापार पर प्रभाव डालती है, का आलोचनात्मक मूल्यांकन भी करते हैं, विशेष रूप से अपने सदस्यों के हित की और सामान्य तथा आम जनता के हित की सुरक्षा कर सकें। अतः ये व्यापारिक संगठन व्यापारियों के मुख्य प्रतिनिधि हैं, उनकी ओर से पक्ष रखते हैं, और सदस्यों और सामान्य तथा व्यापारियों के वास्तविक हित के प्रहरी हैं।

II वाणिज्य और उद्योग के भारतीय कक्षों के संघ (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)

भारत में मुक्त व्यापार को एकत्रित करने का एक संघटन भारतीय वाणिज्य और उद्योग संगठन है जो कि बदलते समय में उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और उनके विश्वव्यापी पहुंच को सुधारने के लिए है। यह एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर की वाणिज्य संगठन है। पूरे राष्ट्रभर में इसके पास 1500 से ऊपर कार्पोरेट और 500 से ऊपर वाणिज्य संगठन और व्यापार संघ की सदस्यता हैं। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संगठन भारतीय व्यापार की हिस्सेदारी दृष्टि का साथ देता है और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 2,50,000 व्यापारिक इकाइयों के लिए बात करता है। इसके विस्तारित होते प्रत्यक्ष उद्योगों की सदस्यता बड़े, मध्यम और छोटे और बहुत छोटे निर्माण के भाग, वितरित व्यापार और सेवाओं से है। इस संस्था ने अपनी बढ़त अग्रस क्रिया व्यापार के समाधान देने वाले के रूप में बना रखी है और यह अनुसंधान और उच्च राजनैतिक स्तर और विश्वव्यापी कंपनियों के द्वारा हो सका है।

1927 में महात्मा गांधी के सलाह से स्थापित यह संगठन भारतीय व्यापार का सबसे बड़ा और पुराना व्यापारिक संगठन है। इसका इतिहास आजादी के आंदोलन से बहुत निकटता से जुड़ा हुआ है। इस संगठन ने आर्थिक राष्ट्रीयता को एक राजनैतिक हथियार के रूप में प्रयोग करने को प्रोत्साहित किया जिससे वे असमान आर्थिक नीतियों के खिलाफ लड़ सकें। ज्ञान से भरपूर भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था में भारतीय वाणिज्य और उद्योग संगठन गुणवत्ता और उत्कृष्टता द्वारा नेतृत्व का संक्षिप्त रूप है। इसके महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं :

(i) विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव और विशेषज्ञता में एक भंडार

(ii) गुणवत्ता पूर्ण सेवा की आपूर्ति

(iii) आर्थिक मामलों में हिस्सेदारी दृष्टि को विकसित करने के लिए लगातार सार्वजनिक उद्योग का मिलान मंच।

(iv) भारत और विदेशों में सामूहिक संगठन के लिए सूचना का अति प्रभावी तरीके।

(v) विश्वव्यापी व्यापार और निवेशन को बढ़ाने के लिए दुतरफा व्यापार व्यवहार कुशलता के विचार इकट्ठा करना।

(vi) अर्थव्यवस्था के सभी खंडों में व्यावसायिक समिति।

(vii) उच्च प्रशिक्षित अनुभवी और अतिनिपुण, बहु अनुशासनिक बुद्धिजीवी राजधानी को सचिवालय के रूप में चुना गया।

(viii) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से अभिनंदित स्टेट ऑफ द आर्ट कार्यालय का सम्मेलन, नियंत्रक की सभा और व्यापारिक सलाह आदि के लिए बुनियादी ढांचा।

(ix) वर्तमान और भविष्य के विषय और चुनौतियों को संबोधित करने के लिए विशेष संगठन और विचारक

(x) प्रत्येक विश्वसनीय नेटवर्क को एक मजबूत डाटा बेस संयोजन के साथ उद्योग, सरकार और व्यापार संगठन के बारे में ऑनलाइन जानकारी और तथ्य देने के लिए।

(xi) आर्थिक और औद्योगिक मसलों पर तुरंत हल निकालने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण।

(xii) उद्योग की जरूरतों और भविष्य की चुनौतियों की कल्पना करने के लिए संभावित दल।

(xiii) विदेशी व्यापार के हिस्सेदारों की मदद और मार्गदर्शन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंच।

(xiv) व्यापारिक गतिविधि की परामर्श, गुणवत्ता के आश्वासन, शक्तिशाली आधिकारिक जांच और देर तक कायम रहने वाली और पर्यावरणीय मसलों पर परामर्श देने के लिए संस्थात्मक सलाहकार समिति।

(xv) स्टेट ऑफ-द आर्ट भोजन परीक्षण की प्रयोगशाला जो देश के कई अरबों खाद्य उद्योगों के लिए चर्चा का विषय रहा है।

(xvi) सामाजिक स्तर तक पहुंचने के कार्यक्रम अच्छी तरह सोच विचार के बाद बना जो सभ्य समाज पर निशाना साधा हुआ है।

(xvii) मजबूत विश्वव्यापी संबंध।

इस संगठन के कार्यकारिणी समिति में उद्योग के नेता जिनमें नव प्रवर्तक, धन उगाहने वाले और नौकरी देने वाले हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए उनका योगदान असीम और वैविध्य पूर्ण हैं।

बौद्धिक मूलधन में उच्च शिक्षा प्राप्त बहुअनुशासनिक सचिवालय जिसमें अर्थशास्त्री, आई. टी. पेशेवर, राजवित्तीय और वित्तीय विश्लेषक, वकील आदि हैं जो औद्योगिक मसलों जैसे गुणवत्ता, बाजार केंद्रक, कराधार, आर्थिक नीतियां आदि पर व्यापारिक समाधान तथा मार्गदर्शन दे सकें। बौद्धिक मूलधन सदैव बढ़ता रहा है जो नए क्षेत्रों और विस्तृत मामलों पर राय देता है। इससे संबंधित संगठन हैं:

(i) व्यापारिक सूचना सेवाओं का समूह (बिसनेट)

(ii) प्रवासी भारतीय दिवस सचिवालय

(iii) अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन (ए. आई. ओ. ई.)

(iv) अखिल भारतीय आयात निर्यातक समिति (ए. आई. एस. सी.)

(v) भारतीय खाद्य व्यापार एवं उद्योग परिसंघ (सी. आई. एफ. टी. आई.)

(vi) एफ. आई. सी. सी. आई. महिला संगठन (एफ. एल. ओ.)
(vii) एफ. आई. सी. सी. आई. गुणवत्ता मंच
(viii) एफ. आई. सी. सी. आई. समाज-आर्थिक विकास संगठन
(ix) खाद्य अनुसंधान और विश्लेषण केन्द्र (एफ. आर. ए. सी.)
(x) आई. सी. सी.-भारत
(xi) भारतीय मध्यस्थता समिति (आई. सी. ए.)
(xii) बौद्धिक संपत्ति विकास (आई. आई. पी. डी.)

एफ. आई. सी. सी आई. की भूमिका
(Role of FICCI)

(i) राष्ट्रीय मामले (National Affairs)

एफ. आई. सी. सी. आई. ने राष्ट्र की आर्थिक नीतियों का, दोनों स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद के काल में विकास करने में एक सक्रिय भूमिका निभाई। देश की बड़ी आर्थिक नीतियों को विकसित और लागू करते समय सरकार एफ. आई. सी. सी. आई. से विचार विमर्श करती रही है। उदाहरण के लिए भारतीय सरकार अधिनियम 1936, बंबई योजना पंचवर्षीय योजना आदि। सरकार और एफ. आई. सी. सी. आई. की साझेदारी आज भी जारी है।

एफ. आई. सी. सी. की चौंतीस विशिष्ट समितियां अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों में क्षेत्रीय मसलों को प्रतिदिन के आधार पर नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं जिससें व्यापारिक समाधान दे सकें और सरकार को व्यावहारिक नीतियों के बारे में सुझाव दे सकें।

(ii) विश्वव्यापी संबंध (Global Connectivity)

अद्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय नेट वर्किंग (जे. एन. ओ.) के द्वारा और उच्च स्तरीय पारस्परिक क्रिया ने भारतीय व्यापारिक समुदाय की अपने व्यापार क्षितिज का विस्तार कर सकने में मदद की है। बहुपक्षीय संगठन जैसे यू. एन. आई. डी. ओ., यू. एन. एफ., आई. एल. ओ., जी. ए. टी. टी., डब्ल्यू. टी. ओ., वर्ल्ड बैंक, आई. एफ. ओ. आदि के मुखियाओं के साथ विचार-विमर्श करना एफ. आई. सी. सी. आई., की क्रिया-कलापों का एक अंश रहा है जिससे इन संगठनों से विश्वसनीय सम्पर्क सूत्र स्थापित करता है। ताकि विकासशील मामलों में व्यापारिक दृष्टिकोण का विस्तार हो सके।

(iii) संयुक्त व्यापारिक परिषद (Joint Business Councils)

एफ. आई. सी. सी. आई. भारतीय व्यापारियों को विदेशी निवेशक, तकनीक आपूर्तिकर्त्ता बहुपक्षीय और द्विपक्षीय धन राशि देने वाली एजेंसियों के साथ व्यापार करने के लिए नये व्यापारिक अवसर प्रदान करने के लिए सघन प्रयासरत है। संयुक्त व्यापारिक परिषद 69 से अधिक देशों के साथ मिलकर बनाया गया है जिनमें यू. एस., जापान, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया और जनलोकतांत्रिक चीन भी शामिल है जो नियमित रूप से द्विपक्षीय मामलों में सावधानीपूर्वक सोच विचार के लिए मिलते हैं और नई नीतियों को बनाकर दो तरफा व्यापार और निवेशन को नई ऊंचाई तक ले जा सकें।

(iv) एफ. आई. सी. सी. आई. इन भारतीय व्यापारिक समुदायों का प्रमुख बिंदु है :

- एशिया पैसिफिक चैबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री का राष्ट्र मंडल।
- चैंबर ऑफ कामर्स इंडस्ट्री एंड सर्विसिज का जी-15 राष्ट्र मंडल।
- इंडियन औसियन रिम बिजनेस फोरम
- अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संगठन (आई. सी. सी.)
- सार्क वाणिज्य और औद्योगिक संगठन

(v) एफ. आई. सी. सी. आई. की वार्षिक आम सभाएं (FICCI Annual General Meetings)

एफ. आई. सी. सी. आई. के वार्षिक आम सभाएं महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक घटनाएं रही हैं। उन्हें तत्कालीन विकासात्मक के मसलों पर चर्चा होती रही हैं जो राष्ट्र के सामने है।

(vi) एफ. आई. सी. सी. आई. के विविध कार्य (Miscellaneous Functions of FICCI)

संकट के समय एफ. आई. सी. सी. आई. हमेशा राष्ट्र के पीछे रहा है। यह स्वतंत्र व्यापार और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रतिबद्ध है। वह लोगों के जीवन की गुणवत्ता को सुधारने की और एक कर्मठ और जीवंत भारत के निर्माण की कुंजी है।

III भारत में वाणिज्य और उद्योग की सहयोगी संगठन (ए. एस. एस. ओ. सी. एच. ए. एम.) (The Associated Chambers of Commerce and Industry in India)

ASSOCHAM भारत की पहली उच्चतम वाणिज्य और उद्योग संगठन है। बंगाल वाणिज्य संगठन और मद्रास संगठन ने मिल कर **ASSOCHAM** की स्थापना की।

एसोचेम कार्पोरेट भारत का प्रतिनिधि निकाय है। इसका काम नीति और विधि निर्माण से संबंधित वातावरण को प्रभावित करना है ताकि संतुलित आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक विकास का पालन-पोषण कर सके।

इसका उद्देश्य नीति और कानून बनाने वालों को प्रभावित करना, अपने उद्देश्यों को प्रभाव दे सके, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों को रिश्तों का जाल बनाने को प्रेरित कर सकें। एक जानने और सीखने का वातावरण विकसित करे जो अपने सदस्यों की आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण बातों के विकास के लिए संवेदनशील हैं।

एसोचेम के सदस्यों के पांच वर्ग विकसित करे। ये आयोजक कक्ष हैं जैसे एम. एन. सी. और पी. एस. यूज और वित्तीय संस्थान, संरक्षक सदस्य, आम सदस्य और कार्पोरेट साथी जैसे प्रतिष्ठान, एक मात्र मालिकाना कम्पनी, कम्पनियां, कार्पोरेट निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के कारोबार आदि।

इसका सपना बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने को राष्ट्र के लिए एक लम्बी अवधि का आर्थिक कार्य सूची निर्धारित करने की अभिलाषा रखना है। आर्थिक कार्य सूची की सामान्य रूप रेखा निम्नलिखित प्रतिबद्धता शामिल करती है :

(i) जनसंख्या को नियन्त्रित करना।

(ii) निरंतर चलने वाला आर्थिक सुधार और उदारीकरण।

(iii) प्रक्रियाओं में सुधारीकरण और सरलीकरण।
(iv) स्वतंत्र और बाजार नियंत्रित व्यापार के रास्ते से प्रशासन संबंधित बाधाएं हटाना।
(v) निर्यात की वृद्धि करना, बकाया धनराशि के भुगतान की स्थिति में सुधार और संचित भंडार को बढ़ाना।
(vi) केन्द्रीय आधारभूत प्रणालियों का आधुनिकीकरण और मजबूतीकरण।
(vii) अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में स्टेट-ऑफ-आर्ट प्रौद्योगिकी का स्तरोन्नयन और उसको उपलब्ध बनाना।
(viii) भारत को एक जीवंत और उत्साहपूर्ण और बाजार नियंत्रित आर्थिक व्यवस्था को आर्थिक व्यवस्था के सर्वोच्च शक्तियों के साथ तुलनीय और अनुकूल बनाना।

निम्न पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए :

(i) मानवीय व्यवहार में सुधार लाना जो प्रेरक मामलों जैसे प्रारम्भिक शिक्षा, विशेषतया स्त्री शिक्षा और सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य देखभाल।
(ii) उन लोगों के लिए एक सुरक्षा जाल जो सुधार और व्यापारिक संगठनों को फिर से सुव्यवस्थित करने की वजह से अपनी नौकरियों को खो सकते हैं।
(iii) रोजगार पीढ़ी पर विशेष तौर पर कृषि, रिहायशी मकान आदि और नौकरी के क्षेत्र, विशेष कर पर्यटन व्यवसाय के लिये विशेष प्रोत्साहन।
(iv) सूचना टेक्नोलॉजी और संचार के क्षेत्र में भारत को एक उत्कृष्ट शक्ति बनाने के लिए एक क्रांति।
(v) एक बुद्धिजीवी समाज को विकसित करना जो नए अवसर और पुरानी समस्याओं के नए जवाब का निर्माण करती है।

IV भारतीय उद्योग परिसंघ (Confederation of Indian Industries)

भारतीय उद्योग परिसंघ इंजीनियरिंग उद्योग का चोटी का संगठन है। इसका पूर्व प्रचलित निकाय इंजीनियरिंग और लोहा व्यापार संघ (ई. आई. टी. ए.) था जिसे दिसम्बर 1895 में स्थापित किया जब पांच इंजीनियरिंग कम्पनियों ने आपस में हाथ मिलाया।

बाद में, 1912 में इसका नाम बदल कर भारतीय का इंजीनियरिंग संघ (आई. ई. ए.) रखा गया। वर्ष 1942 में, भारत का इंजीनियरिंग संघ (ई. ए. आई.) स्थापित किया गया। बाद में, अप्रैल 1974 में आई. ई. ए. और ई. ए. आई. का विलय हुआ और भारतीय इंजीनियरिंग उद्योग संघ (ए. आई. ई. आई.) बना। 1986 में इसका नाम बदल कर इंजीनियरिंग उद्योग परिसंघ (सी. ई. आई.) रखा गया और फिर 1992 में इसका नाम बदल कर भारतीय उद्योग परिसंघ (सी. आई. आई.) रखा गया।

भारतीय उद्योग परिसंघ के 3000 सदस्य कंपनियां हैं जो छोटे से बड़ा और जन-साधारण से व्यक्तिगत क्षेत्र तक के हैं। इसकी रचना संघीय है राष्ट्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, राज्य और क्षेत्र विशेष परिषद। इसकी विशिष्ट समितियां हैं, जैसे उद्योग प्रभाग और संबद्ध संघ और संस्थाएं। इसके उद्देश्य हैं :

(i) देश के आर्थिक विकास में उद्योग की भूमिका को पहचानना और मजबूत करना।

(ii) भारतीय उद्योग की वृद्धि और विकास लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करना।

(iii) भारतीय उद्योग के भूमण्डलीकरण और संसार के अर्थव्यवस्था के साथ इसके एकीकरण के लिए काम करना।

(iv) समाज के प्रति उद्योग की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना।

(v) गुणवत्ता, पर्यावरण और उपभोक्ता सुरक्षा पर उद्योग की कोशिशों को सहारा देना और सतर्कता उत्पन्न करना।

(vi) सहयोग को प्रोत्साहित करना।

(vii) सरकार और उद्योग को नवीनतम सूचना और डाटा देना।

भारतीय उद्योग परिसंघ उद्योग की तरक्की के लिए काफी क्रियाशील रही विशेष तौर पर उसने इंजीनियरिंग उद्योग पर ध्यान दिया गया।